उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–01/2019–20

मनमोहन मरण्डी

बनाम्

झारखण्ड राज्य वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 15/5/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मनमोहन मरण्डी, पे0–स्व0 मानिक मरण्डी, सा0–फूलबड़िया, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–18/17–18 के आदेश दिनांक–10.12.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–18/2017–18 के आदेश दिनांक–10.12.2018 के द्वारा पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–69, दिनांक–03.05.2015, जो उत्तरवादी विनोद मरण्डी के पक्ष में निर्गत है, को सत्यापित करते हुए पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132/रा0 दिनांक–24.09.2016 को निरस्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–02 ने अपने पत्रांक–ई0सी0एल0/राजमहल परियोजना/हुर्रा (सी0) 104 दिनांक–14.06.2017 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132/ दिनांक–24.09.2016 एवं सं0–69 दिनांक–05.06.2015 के संबंध में आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्त्ता मनमोहन मरण्डी, पे0–स्व0 मानिक मरण्डी के साथ राजेश मरण्डी, पे0–स्व0 नेकलाल मरण्डी वो अनुपलाल मरण्डी, पे0–स्व0 मिथिलेश मरण्डी एवं मंजू मरण्डी, पे0–स्व0 जलपा मरण्डी ने मौजा–हुर्रा, जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया, जमाबंदी सं0–35 एवं 36 के जमाबंदी रैयत के वंशज के आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.09.2016 के आधार पर रोजगार के लिए दावा किया है। लेकिन उसी जमीन का अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत पारिवारिक वंशावली प्रमाण पत्र सं0–69 दिनांक–05.06.2015 के आधार पर विनोद

मरण्डी, पे0–संझला मरण्डी, सोनाराम मरण्डी, पे0–हेमलाल मरण्डी एवं फूलमुनी मरण्डी, पे0–स्व0 लखीराम मरण्डी को रोजगार दिया गया है। लेकिन दोनों प्रमाण पत्र में भिन्नता होने के कारण उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा उक्त पारिवारिक प्रमाण पत्र के पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया। राजमहल परियोजना के उक्त आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में रा0वि0 वाद सं0–18/17–18 प्रारंभ किया गया एवं नोटिश मिलने पर अपीलकर्त्ता, राजेश मरण्डी, पे0–स्व0 नेकलाल मरण्डी वो अनुपलाल मरण्डी, पे0–स्व0 मिथिलेश मरण्डी वो मंजु मरण्डी, पे0–स्व0 जलपा मरण्डी निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया तथा कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया कि वे लोग मौजा–हुर्रा, जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया जमाबंदी सं0–35 एवं 36 के जमाबंदी रैयत के वंशज है। उनका आगे कथन है कि मौजा–हुर्रा नं0–36, जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया नं0–35, जमाबंदी सं0–35 एवं 36 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हड़िया मरण्डी वो अलमा मरण्डी वो शंकर मरण्डी वो टीकन मरण्डी वो नुन्ना मरण्डी, पेसरान–रघु मरण्डी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण गत जमाबंदी रैयत अलमा मरण्डी वो टीकन उर्फ मोहन मरण्डी के वंशज है। जिसका वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

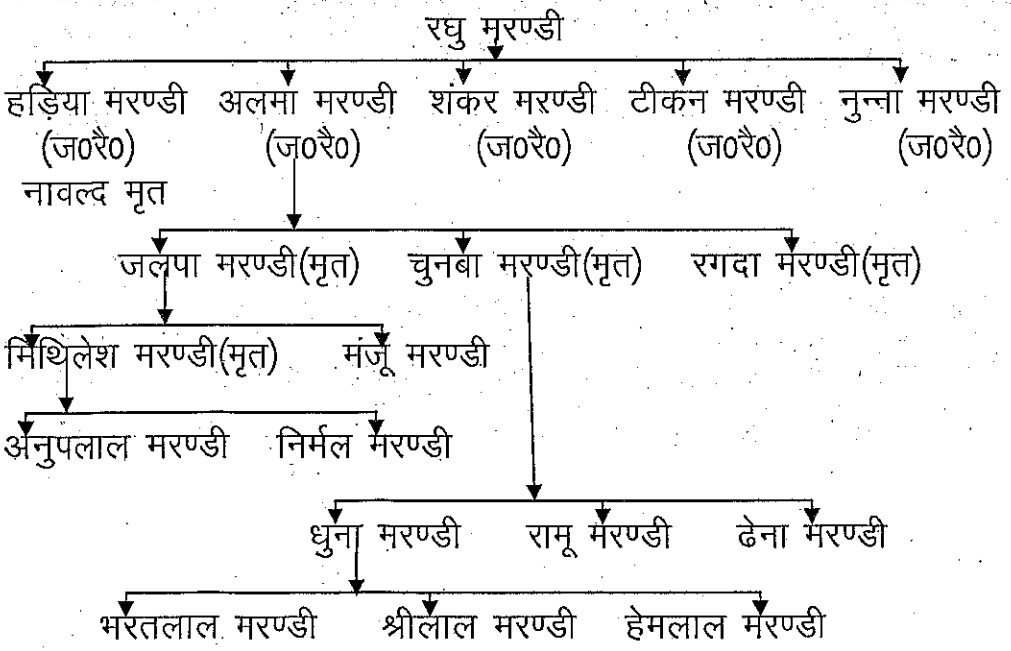

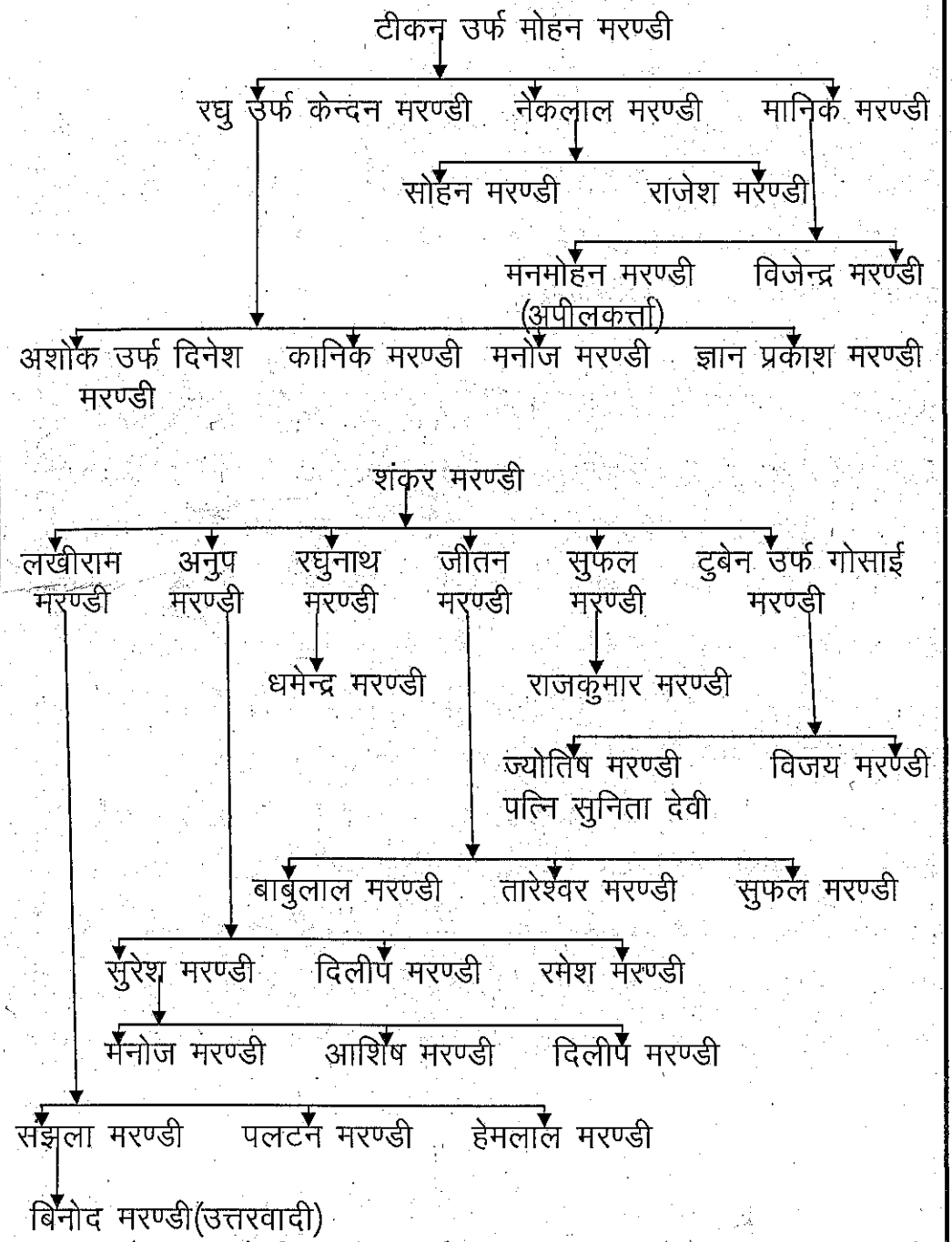

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का मामला यह है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा रैयत से पूछताछ कर संशोधित पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.06.2016 निर्गत किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता को मौजा–हुर्रा के जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया के जमाबंदी सं0–35 एवं 36 का वंशज दिखाया गया। चूँकि उक्त जमीन राजमहल परियोजना के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता एवं अन्य उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त जमीन के बदले नौकरी पाने के हकदार है। लेकिन उत्तरवादी विनोद मरण्डी, सोनाराम मरण्डी एवं फूलमनी मरण्डी ने बिना जाँच कराये ही अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–69 दिनांक–05.06.2015 निर्गत कराया, जिसमें अपीलकर्त्ता के साथ जमाबंदी रैयत अलमा मरण्डी, नुन्ना मरण्डी एवं शंकर मरण्डी के वंशजों को

गायब कर दिया गया। चूँकि हड़िया मरण्डी एवं नुन्ना मरण्डी की मृत्यु नावल्द हो गयी है। इसलिए उनके हिस्से की जमीन अन्य भाई को प्राप्त हुआ। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता एवं अन्य के द्वारा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त अधिग्रहित जमाबंदी की जमीन के बदले नौकरी पाने के लिए राजमहल परियोजना से दावा किया था। लेकिन राजमहल परियोजना ने उक्त दोनों पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र के पुष्टि करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रेषित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने तथ्यों का जाँच किये बिना ही पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.09.2016 को रद्द कर दिया है। जबकि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत टीकन मरण्डी उर्फ मोहन मरण्डी के वंशज है एवं अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी की जमीन का अद्यतन माल गुजारी रसीद भी प्राप्त करते आ रहे हैं तथा मालगुजारी की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में दाखिल किया था और चूँकि दोनों ही पक्ष का उक्त जमाबंदी की जमीन पर हक एवं अधिकार निहित है। इसलिए संक्षिप्त कार्यवाही के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.09.2016 को रद्द नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अंचल अधिकारी, बोंआरीजोर के द्वारा निर्गत उक्त पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.09.2016 में उक्त जमाबंदी के सभी जमाबंदी रैयतों के वंशज का नाम अंकित किया गया था। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी विनोद मरण्डी, सोनाराम मरण्डी एवं फूलमनी मरण्डी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक– 24.09.2016 में दर्शाया गया नाम पूरी तरह से गलत एवं मनगढ़त है। क्योंकि अपीलकर्त्ता मौजा–हुर्रा एवं मौजा–फूलबड़िया के रैयत नहीं है। यहाँ तक कि उक्त मौजा में उनका मकान भी नहीं है। अपीलकर्त्ता बिल्कूल ही बाहरी व्यक्ति है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी विनोद मरण्डी, सोनाराम मरण्डी एवं फूलमनी मरण्डी मौजा–हुर्रा के जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया के जमाबंदी सं0–35 एवं 36 के

जमाबंदी रैयत के वंशज है। उनका आगे कथन है कि थाना प्रभारी, ललमटिया एवं सनत हाँसदा प्रधान मौजा–फूलबड़िया के उपस्थिति में दिनांक –10.02.2020 को आमसभा का आयोजन किया गया था, उसमें उपस्थित सभी रैयतों के द्वारा एकमत से बताया गया कि वंशावली प्रमाण पत्र सं0–132 दिनांक–24.09.2016 गलत है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का दावा गलत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा मिलीभगत से उक्त प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के ज्ञापांक–651/सा0 दिनांक–16.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा प्रतिवेदित किया हैं कि मौजा–हुर्रा नं0–36 जमाबंदी नं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया नं0–35, जमाबंदी नं0–35 एवं 36 का निर्गत वंशावली का सत्यापन किया गया है। दोनों पक्षों के सामने ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में सबसे अंतिम में निर्गत वंशावली पत्रांक–265 दिनांक–10.07.2020 का सत्यापन कराया गया। जमाबंदी रैयत के पांच में से चार उत्तराधिकारी 1. हड़िया मराण्डी, 2. अलमा मराण्डी, 3. स्व0 शंकर मराण्डी एवं 4. नुना मराण्डी को लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्षों में से सिर्फ टीकेन मराण्डी के उत्तराधिकारियों को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष के अनुसार वे जमाबंदी रैयत टीकेन मराण्डी के पुत्र कानन मराण्डी के भतीजा है, जबकि द्वितीय पक्ष के अनुसार उनका उक्त जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा यह बताया गया कि जमाबंदी रैयत टीकेन मराण्डी के पुत्र कानन मराण्डी से अपने भतीजे होने का साक्ष्य उनके द्वारा भवदीय के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। अंचल कार्यालय, बोआरीजोर के पत्रांक–265/रा0 दिनांक–10.07.2020 में उल्लेखित वंशावली में विवाद का मुद्दा यही है कि प्रथम पक्ष टीकेन मराण्डी के पुत्र कानन मराण्डी के भतीजा है या नहीं। ग्रामीणों द्वारा एवं ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि प्रथम

पक्ष बाहरी व्यक्ति है एवं उनका जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा टीकेन मराण्डी के पुत्र कानन मराण्डी के भतीजा होने के संदर्भ में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थल जाँच के क्रम में ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधान के बयान एवं अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाने की वजह से प्रथम पक्ष का दावा निराधार प्रतीत होता है। अगर उनके द्वारा कोई साक्ष्य भवदीय के न्यायालय में दाखिल किया जाता है, तो भवदीय उसका अवलोकन करना चाहेंगे।

उपरोक्त तथ्यों, दोनों पक्ष की ओर से दाखिल कागजात एवं अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि मौजा–हररा नं0–36, जमाबंदी सं0–30 एवं मौजा–फूलबड़िया नं0–35, जमाबंदी सं0 –35 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हड़िया मरण्डी वो अलमा मरण्डी वो शंकर मरण्डी वो टीकन मरण्डी वो नुना मरण्डी, पेसरान–रघु मरण्डी एवं मौजा–फूलबड़िया नं0–35, जमाबंदी सं0–36 की जमीन हड़िया मरण्डी वो अलमा मरण्डी वो शंकर मरण्डी वो टीका मरण्डी वो नुना मरण्डी, पेसरान–रघु मरण्डी वो हड़िया मरण्डी वल्द टीका मरण्डी वो होपना मरण्डी वो पालो मरण्डी, पेसरान–हड़िया मरण्डी के नाम से दर्ज है। यह स्पष्ट है कि पाँच जमाबंदी रैयत में से चार जमाबंदी रैयत 1. हड़िया मरण्डी, 2. अलमा मरण्डी, 3. शंकर मरण्डी एवं 4. नुना मरण्डी के उत्तराधिकारी को लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। विवाद जमाबंदी रैयत टिकन मरण्डी के उत्तराधिकारी को लेकर है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत टीकन मरण्डी के वंशज के आधार पर दावा कर रहे हैं। लेकिन उत्तरवादी विनोद मरण्डी, सोनाराम मरण्डी एवं फूलमनी मरण्डी का कथन है कि अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है एवं उनका जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के समक्ष अपने दावा के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बल्कि वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता की ओर से सूची के अनुसार कागजात का छायाप्रति दाखिल किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के दावा पर विचार करना इस स्तर पर उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि अपीलकर्त्ता की ओर से दर्शाये गये वंशावली में उत्तरवादी विनोद मरण्डी को गत जमाबंदी रैयत शंकर मरण्डी के वंशज दिखाया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का प्रतिवेदन है कि जमाबंदी रैयत शंकर

मरण्डी के संबंध में दोनों पक्ष में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–18/17–18 में दिनांक–10.12.2018 के पारित आदेश नियम के अनुकुल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–18/17–18 में आदेश दिनांक–10.12.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अपीलकर्त्ता चाहे तो अपना स्वत्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा 07/23

उपायुक्त,
गोड्डा 05/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:21:14 +05:30
Location: 172.21.32.1